न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 62/2022

अपीलांट्स –

1. यासीनखां पुत्र माजीखां
2. हनीफखां पुत्र माजीखां
3. निभी पत्नी माजीखां
   जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा नगर, नवोड़ा बेरा, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. आमदखां पुत्र नेकूखां
2. मोहम्मद इलियास पुत्र जलेखां
3. नूर मोहम्मद पुत्र जलेखां
4. अयूबखां पुत्र जलेखां
5. असलम पुत्र जलेखां
6. बिस्मिला पत्नी जलेखां
7. वलीखां पुत्र नेकूखां
8. अबूखां पुत्र जीयेखां
9. अदरीमखां पुत्र खीवरेखां
   रेस्पोडेंट्स संख्या 3 से 5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बिस्मिला पत्नी जलेखां रेस्पोडेंट संख्या 6 जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा नगर, नवोड़ा बेरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
10. मदरसा इस्लामिया अमीनिया तालीमूल कुरआन संस्थान मोमीन नगर
11. सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुरा तहसील पचपदरा
12. उपतहसीलदार पाटोदी
13. तहसीलदार पचपदरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 12 दिनांक 08.12.2021 जो उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री मेघाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 11 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 12 एवं 13 प्रफॉर्मा पक्षकार।

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 26.12.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उप तहसीलदार पाटोदी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 12 दिनांक 08.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नवोड़ा बेरा के खेत खसरा संख्या 4334/1962 रकबा 95 बीघा भूमि के खातेदारान सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुरा 80/1900 आमदखां पुत्र नेकूखां 217.5/1900 मोहम्मद इल्यास नूरमोहम्मद अयूबखां असलम पि0 जलेखां बिस्मिला पत्नी जलेखां नाबा 2 से 4 की वली बिस्मिला पत्नी जलेखां 217.5/1900 वलीखां पुत्र 217.5/1900 नेकूखां गेनी पत्नी नेकूखां 1/8 अयूबखां पुत्र जीयेखां 297/1900 अदरीमखां पुत्र खींवरेखां 306.66/1900 हनीफखां यासीनखां पि0 माजी 1/9 निमी पत्नी माजी 95.55/1900 कौम मुसलमान मदरसा इस्लामिया अमीनिया तालीमल कुरआन संस्थान मोमीनगर 20/1900 सा0 देह ने दिनांक 08.12.2021 को उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी नवोड़ा बेरा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मूल बंटवाड़ा पत्र का जमाबन्दी रेकर्ड मौजा इन्द्रानगर के खाता संख्या 57 (जमाबन्दी वर्ष 2073–2076) से जांच की गई। इस विभाजन पत्र में किसी काश्तकार का नाम हटाया नहीं गया है एवं न ही जोड़ा गया है। खसरावार रकबा व लगान की फलावट भी पूर्व खाता अनुसार सही है। प्रस्तावित विभाजन पत्र अनुसार ही मौके पर खातेदारों (पक्षकारों) का कब्जा–काश्त है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 57 में किसी न्यायालय का स्थगन संबंधी इन्द्राज दर्ज नहीं है। इस पर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 12 दिनांक 08.12.2021 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.11.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:44:31 IST
Reason: SelfAttested

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 ने अपीलाधीन पैतृक खातेदारी के मूल खेत खसरा संख्या 4334 / 1962 की भूमि को मौके पर कब्जा–काश्त तथा पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन समझौता प्रस्ताव मय नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान लगाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2011 कैम्प नवोड़ा बेरा में उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर पटवारी ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 के दबाव में रहकर अपीलाधीन भूमि की किस्म, उपजाउपन एवं समतल–धोरे आदि अहम मुद्दों को अनदेखा करते हुए एवं आने–जाने का रास्ता की सुविधा प्रदान नहीं करते हुए विभाजन हेतु तैयार पूर्व के नक्शे को बदल कर उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष पेश किया। अपीलांट्स कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ थे जिस कारण उन्हें विभाजन प्रस्ताव के गलत होने का ज्ञान नहीं हो सका और विभाजन आदेश उप तहसीलदार से तस्दीक करा लिया। अपीलाधीन विभाजन आदेश के अनुसार नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है जिसके कारण अपीलांट की ढाणियां, चाराबाड़े आदि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन खसरे की भूमि के मौके पर कब्जा–काश्त व बाहमी बंटवाडे के अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अरसा 20–25 दिन पूर्व अपीलांट्स द्वारा जब मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर रबी की फसल की तैयारी की जाने लगी तब रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 द्वारा विधिवत रूप से पटवारी से पैमाईश करवाकर काबिज होने के बाद काश्त करने का कहा। इस पर अपीलांट्स को अपना हक–हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांट्स ने विभाजन प्रस्ताव व आलौच्य की प्रति दिनांक 13.09.2022 को प्राप्त की। इस पर अपीलांट्स को कब्जे–काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी होने पर सम्यक तत्परता से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्‌भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित अपीलाधीन बंटवाडा आदेश मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार नहीं किया गया है तथा गलत है। अपीलाधीन बंटवाडा आदेश की तरमीम एवं मौके की स्थिति में भारी भिन्नता है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील को स्वीकार कर उक्त विभाजन निरस्त करते हुए पुनः पक्षकारान के मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:44:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है तो उन्हें कोई उजर ऐतराज नहीं है। अतः निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2021 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः पक्षकारान के कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा किया जाने का आदेश फरमावें।

7. हमने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा नवोड़ा बेरा के खेत खसरा संख्या 4334 / 1962 रकबा 95 बीघा भूमि के खातेदारान ने दिनांक 08.12.2021 को उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया गया। इस पर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 12 दिनांक 08.12.2021 पारित किया गया। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश के अनुसार नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है जिसके कारण अपीलांट की ढाणियां, चाराबाड़े आदि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 के अधिवक्ता द्वारा भी अपीलाधीन बंटवाडे के मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने की ताईद राजीनामा पेश कर की गई है। इस प्रकार अधिवक्तागण अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों एवं अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 12 दिनांक 08.12.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उप तहसीलदार पाटोदी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा नवोड़ा बेरा के खसरा नंबर 4334 / 1962 के मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति एवं वास्तविक कब्जा–काश्त अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही [illegible]

9. निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:44:31 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलेक्टर
बाड़मेर